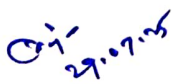
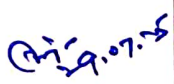


आदेश फलक

अभिलेख सं०- 47 / 25-26

25.03.25

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
1	2	3																		
	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री प्रकाश लामाय एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ठाकुर दास महतो के द्वारा परिशोधन पोर्टल में पिकायत सं०— PRI24060501647260120253517213581, दिनांक— 05.03.2025 के द्वारा मौजा— सिंगाती, खाता सं०— 188, प्लॉट सं०— 161 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-																			
	<table><tr><td>क०</td><td>मौजा/थाना सं०</td><td>खाता सं०</td><td>प्लॉट सं०</td><td>रकवा (ए० में)</td><td>पंजी II रैयत का नाम</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>सिंगाती / 164</td><td>188</td><td>291</td><td>0.43</td><td>ठाकुर दास महतो, पिता— शक्तिपद महतो, ना०मु०सं०— 249/82-83 के अनुसार</td></tr></table>		क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	सिंगाती / 164	188	291	0.43	ठाकुर दास महतो, पिता— शक्तिपद महतो, ना०मु०सं०— 249/82-83 के अनुसार
	क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम														
	1	2	3	4	5	6														
	1	सिंगाती / 164	188	291	0.43	ठाकुर दास महतो, पिता— शक्तिपद महतो, ना०मु०सं०— 249/82-83 के अनुसार														
उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा— सिंगाती, खाता सं०— 188, प्लॉट सं०— 291 रकवा— 0.43 ए० भूमि ना०मु०सं०— 249/82-83 में ठाकुर दास महतो, पिता— शक्तिपद महतो के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।																				
अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुषंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।																				
अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।																				
लेखापित  अंचल अधिकारी चाण्डिल।		 अंचल अधिकारी, चाण्डिल।																		